20.12.24 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में पैरोकार तहसीलदार बेगू जवाब प्रा पत्र पेश करने का अवसर चाहते हैं पूर्व मे इन्हे कई अवसर दिये जा चुके है। अवसर बन्द किया जाकर वकील प्रार्थी कि एक तरफा बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा घाम्या कि आराजी स. 315, 371, 372, 373, 448, 450, 460, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 871, 873, 874, 875, 898, 902, 904, कुल किता 22 कुल रकबा 4.7910 है भूमि व खाता स. 27 मे अंकित

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आ.स. 457 रकबा 1.2620 हे. भूमि व खाता स. 105 आ.स. 910.911, 973/908 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3600 हे. भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात है जिसमे प्रार्थी के गोद पिता के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खोले गये नामांतरण मे बिना तथ्यों की जानकारी किये "देवा दत्तक पुत्र स्व होकमा के बजाय प्रार्थी का परिवार मे बोलता नाम" जगन्नाथ होकमा व जगन्नाथ पिता रूपा अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयो की लिपिकीय भूल वश अंकित हुआ है। प्रार्थी देवा के नाम से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम देवा अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाय जाकर उक्तवर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे अंकित प्रार्थी का नाम "जगन्नाथ दत्तक पुत्र होकमा व जगन्नाथ पिता रूपा कुमावत एवं देवा पिता रूपा के बजाय देवा पिता होकमा कुमावत नि. धामंचा जरिये शुद्धीकरण के अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे सलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2078, खाता स. 105 क्र.स. 8 मे देवा पुत्र रूपा कुमावत, व खाता स. 27 मे जगन्नाथ पुत्र रूपा व क्रम स. 10 देवा पुत्र होकमा एवं खाता स. 81 मे क्र.स. 4 जगनाथ दत्तक पुत्र होकमा व क्र.स. 5 जगनाथ पुत्र रूपा दर्ज अंकित है। एवं नकल जमांबन्दी सम्वत 2072 से 2075 मे खाता स. 99 मे देवा मु. होकमा कुका पिता रूपा मे दर्ज अंकित है। ग्रा. पंचायत धामंचा के प्रमाण पत्र मे जगनाथ व देवा नाम का एक ही व्यक्ति है। एवं बिजली बिल, आधार कार्ड बैंक डायरी, राशनकार्ड कि छाया प्रति मे देवा पिता होकमा दर्ज अंकित है। प्रा. पत्र मे सलग्न चार नकल जमाबन्दीयों मे अलग अलग नाम दर्ज है। न प्रार्थी ने प्रा. पत्र मे नामान्तर कि प्रति भी पेश नही कि है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि नामान्तरण खोलते समय कोई त्रुटि हुई हो। एवं प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र मे जगन्नाथ पिता रूपा के बजाय देवा दत्तक	

पुत्र होकमा कराने का अंकन किया हुआ है। जबकी नकल जमानंदीयों मे जगन्नाथ पुत्र रूपा अंकित है व प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों में देवा पुत्र होकमा है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रा-पत्र सिद्ध नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र अ-धा 1362-RA का दस्तावेज से सिद्ध नही होता है। प्रार्थी का प्रा-पत्र पुत द्वारा खारिज किया जाता है, यत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।